



प्रेस नोट

दिनांक 11.03.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.03.2025 को थाना राठ पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ व्यक्ति को यात्री प्रतीक्षालय मोर्चरी हाउस के पास, पनवाडी रोड कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द पुत्र मुरलीधर (उम्र करीब 33 वर्ष) नि0 ग्राम पडरा थाना राठ जनपद हमीरपुर
बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अरविन्द पुत्र मुरलीधर-

1. मु0अ0स0 85/2021 धारा 13 जुआ सार्वजनिक अधिनियम थाना चिकासी जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0स0 224/2021 धारा 504,506 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
3. मु0अ0स0 230/2024 धारा 307,34,504,506 आईपीसी 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 एससीएसटी एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
4. मु0अ0स0 364/2016 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
5. मु0अ0स0 365/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
6. मु0अ0स0 486/2021 धारा 504,506 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
7. मु0अ0स0 507/2018 धारा 323,504,506 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
8. मु0अ0स0 560/2022 धारा 498ए,323,504,506 आईपीसी व 3/4डीपी एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
9. मु0अ0स0 486/2021 धारा 504,506 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर
10. मु0अ0स0 103/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 रोहित साहू
2. का0 अनिल राजपूत
3. का0 अभिषेक राजपूत